जनपद गाजीपुर पुलिस

प्रेस नोट संख्या: 40, दिनांक-14-08-2019

आज दिनांक 14-08-2019 को जनपद गाजीपुर को 50,000/- के इनामी सहित 04 दुर्दान्त अपराधियों को गिरफ्तार कर 07 जनपदों में कारित एक दर्जन घटनाओं के अनावरण में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

पिछले लगभग 02 माह में जनपद गाजीपुर, आजमगढ़, सुलतानपुर, मऊ, देवरिया, बलिया एवं चंदौली में लूट, हत्या, उद्धापन(धमकी) की गम्भीर घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग सरगना सहित 05 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और लूटे गये वाहनों तथा माल की बरामदगी कर जनपद गाजीपुर पुलिस ने एक दर्जन घटनाओं का अनावरण अथवा उन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1-शिवम् सिंह पुत्र जितेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी कबीरपुर, थाना बहरियाबाद, गाजीपुर। 50,000/- इनाम
2-इमरान अंसारी पुत्र सुखवन कलाम अंसारी, निवासी अलीपुर मदरा, थाना भुड़कुड़ा, गाजीपुर।
3-नसीम अंसारी उर्फ मब्बल पुत्र रियाजुददीन अंसारी, निवासी अलीपुर मदरा, थाना भुड़कुड़ा, गाजीपुर।
4-विनीत यादव पुत्र भोला यादव, निवासी रसूलपुर महुआबारी सूरजपुर, थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ।
5-विशाल सिंह उर्फ गप्पू सिंह पुत्र जयप्रकाश सिंह, निवासी अलीपुर मदरा, थाना भुड़कुड़ा, गाजीपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1- 01 अदद ब्रेजा कार दिनांक 10-08-2019 का चंदौली से लूटी हुई
2-ब्रेजा मालिक से सम्बन्धित बैग, आधार कार्ड, मोहर, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, हिसाब-किताब सम्बन्धी कागज।
3-02 अदद 09 एम0एम0 पिस्टल, मैगजीन-02, कारतूस-04, खोखा कारतूस-02
4-02 अदद 32 बोर पिस्टल, मैगजीन-02, कारतूस-04, खोखा कारतूस-05
5-01 अदद 315 बोर तमंचा, कारतूस-04।
6-चोरी की अपाची मोटरसाइकिल जिससे अलग-अलग घटनायें कारित की गयी है।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक, समय:-

पी0जी0 कालेज के पीछे वाली रोड, समय--13.20, दिनांक 14.08.2019

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद गाजीपुर में पुरस्कार घोषित एवं अन्य सक्रिय अपराधियों के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक गाजीपुर डॉ0 अरविन्द चतुर्वेदी के निर्देशन में सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में सभी थानों को अपने थाना क्षेत्र के सक्रिय अपराधियों के सम्बन्ध में अभिसूचना एकत्र करने, उनके पूर्व मुकदमों की जानकारी करने, जमानत पर छूटे अपराधियों द्वारा पुनः अपराध करने पर जमानत निरस्त कराने, उनके डोजियर तैयार करने, उनके विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करने आदि निर्देश दिये गये हैं। जनपद स्तर पर गठित स्वाट टीम इन्चार्ज को नोडल अधिकारी बनाते हुए थानों से प्राप्त अभिसूचना के आधार पर जमीनी और डिजिटल जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। इस क्रम में जनपद गाजीपुर से 50,000/- के पुरस्कार घोषित शिवम् सिंह उपरोक्त की निकट निगरानी की जा रही थी। अभिसूचना तन्त्र सक्रिय करने पर ज्ञात हुआ कि शिवम् सिंह और इमरान उपरोक्त गैंग बनाकर गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ सहित कई अन्य जनपदों में अपराध कर रहे हैं।

यह अभिसूचना मिलने पर कि शिवम् सिंह गैंग ने 2–3 दिन पूर्व जनपद चन्दौली से एक ब्रेजा गाड़ी लूटी है और वे लोग कई अन्य गम्भीर घटना कारित करने की तैयारी में हैं, आज दिनांक 14.08.2019 को समय लगभग 13.20 बजे पी0जी0 कालेज के पीछे वाली रोड पर घेराबन्दी कर रोकने का प्रयास किया गया। उक्त अपराधियों ने पुलिस पर अपने अवैध असलहों से फायर किया और प्रतिउत्तर में पुलिस बल ने नियंत्रित फायर करते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर उन्हे गिरफ्तार कर लिया।

पूछ–ताछ करने पर अभियुक्त शिवम् सिंह उपरोक्त ने बताया कि वह लूट के लगभग एक दर्जन मामले में जेल जा चुका है। वह गैंग बनाकर लूट और भाड़े पर हत्या करने का अभ्यस्त अपराधी है। बरामद ब्रेजा गाड़ी के सम्बन्ध में पूछ–ताछ करने पर उसने बताया कि गैंग को लूट आदि की घटना करने के बाद पुलिस की पकड़ से बचने के लिए कुछ दिनों बाहर रहने की योजना बनायी गयी थी, जिसके लिए चार पहिया गाड़ी की आवश्यकता थी। इस योजना पर उसने अपने गैंग सदस्यों इमरान, विनीत, झब्बल के साथ योजनाबद्ध ढंग से दिनांक 07.08.2019 को थाना तरवां जनपद आजमगढ़ से एक मोटरसाइकिल लूटी। दो दिन बाद दिनांक 09. 08.2019 को थाना भलवनी जनपद देवरिया से एक अल्टो कार लूटी। लूटी गयी अल्टो कार पुराने माडल की थी इसलिए पुनः एक कार लूटने का मन बनाया और दिनांक 10.08.2019 को जनपद चन्दौली में वाराणसी से लौट रहे एक व्यक्ति को रोक कर उससे नई ब्रेजा कार लूट ली। उक्त व्यक्ति द्वारा लूट का विरोध करने पर उसे गोली मार दी।

प्राप्त अभिसूचना के आधार पर पूछ–ताछ करने पर शिवम् सिंह तथा उसके साथी इमरान, झब्बल और विनीत ने दिनांक 04.08.2019 को सुल्तानपुर में एक हत्या करना स्वीकार किया। जनपद सुल्तानपुर से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि थाना बल्दीराय में बल्लीपुर बाजार में दिनांक 04.08.2019 को समय लगभग–10.30 बजे सुरेश यादव निवासी एमनापुर की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बल्दीराय में अभियोग पंजीकृत है। चारो अभियुक्तों की डिजिटल उपस्थिति एवं अन्य सुसंगत तथ्यों से उनकी संलिप्तता प्रमाणित हुई है।

शिवम् उपरोक्त से हुई पूछ–ताछ में उसने जनपद गाजीपुर के थाना सैदपुर, बहरियाबाद की लूट और धमकी की घटनाओं में शामिल होना स्वीकार किया है, जिसका विवरण अलग से दिया जा रहा है।

अभियुक्त इमरान उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत 22 मुकदमों का विवरण प्राप्त हुआ है, जिसके सम्बन्ध में उससे पूछ–ताछ की गयी इमरान ने भी जनपद आजमगढ़ देवरिया एवं चन्दौली की लूट में शामिल होना स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त जनपद सुल्तानपुर में की गयी हत्या के बारे में जेल में निरूद्ध वाहिद के कहने पर हत्या करना बताया।

विनीत यादव उपरोक्त के विरूद्ध दो दर्जन अभियोग विभिन्न जनपदों में पंजीकृत है। वह पूर्वांचल के कई गैंगों के साथ मिलकर अपराध करता रहा है। उसने भी अपने साथी के साथ उक्त घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है।

नसीम अंसारी उर्फ झब्बल ने बताया कि वह सहजानन्द कालेज में बी0ए0–तृतीय वर्ष का छात्र है और इमरान उपरोक्त के गांव का रहने वाला है। कुछ समय पूर्व इमरान ने उससे सम्पर्क किया और पैसे का लालच देकर लूट एवं अन्य अपराधों में साथ रहने के लिए तैयार कर लिया। नसीम के विरूद्ध पूर्व से थाना कोतवाली में बलात्कार का मुकदमा पंजीकृत है और वह उक्त गैंग के साथ सुल्तानपुर हत्या एवं आजमगढ़, देवरिया, चन्दौली की लूट में शामिल रहा है।

विशाल सिंह उर्फ गप्पू गैंग के सदस्यों को ठहरने, आवागमन, अवैध असलहों के पारगमन में सहायता करता रहा है।

गैंग द्वारा कारित घटनाओं का संक्षिप्त विवरण

1– दिनॉक–25.06.2019 को थाना सैदपुर अन्तर्गत स्पेलेण्डर प्लस मोटर साइकिल सवार सेंचु राजभर को पिस्टल दिखाकर मोटर साइकिल लूट लेना, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0–143/2019, धारा–394 भादवि पंजीकृत। लूट के दो अन्य अभियुक्त रजत सिंह व विकास सिंह मौके से पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार एवं मोटर साइकिल बरामद। शिवम सिंह उपरोक्त लूट व पुलिस मुठभेड़ में वांछित था।

2– दिनॉक–02.07.2019 को थाना बैरिया, बलिया अन्तर्गत ग्राहक सेवा केन्द्र के संयोजक को पिस्टल दिखाकर 70 हजार की लूट के सम्बन्ध में मु0अ0सं0–206/19, धारा–392 भादवि पंजीकृत, जिसमें ईशान्त गिरफ्तार और शिवम सिंह उपरोक्त वांछित।

3– दिनॉक–31.01.2019 तथा 06.07.2019 को थाना बहरियाबाद अन्तर्गत एक व्यवसायी को 10 लाख रूपये की धमकी देकर मांग करने के सम्बन्ध में कमशः मु0अ0सं0–07/2019 एवं 50/2019 धारा–386/506 भादवि पंजीकृत। इस घटना में शिवम सिंह उपरोक्त का नाम प्रकाश मे आने पर वांछित।

4– दिनॉक–20.06.2019 को थाना बहरियाबाद अन्तर्गत चेन स्नैचिंक के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग 44/19, धारा–392 भादवि पंजीकृत। पूछताछ पर शिवम सिंह एवं नसीम उर्फ झब्बल ने घटना कारित करना स्वीकर किया।

5– दिनॉक–29.07.2019 को थाना कासिमाबाद, गाजीपुर में चेन स्नैचिंग के सम्बन्ध में अपराध संख्या–203/2019, धारा–392 भादवि पंजीकृत, पूछताछ पर इमरान, नसीम उर्फ झब्बल और विनीत घटना में शामिल। पूछताछ पर बताया कि एक व्यक्ति रसड़ा बाजार में नाश्ता करने के बाद कासिमाबाद की ओर बढ़ा जो सोने की चेन पहने था, पीछा करने पर पिस्टल दिखाकर चेन छीन ली।

6– दिनॉक–04.08.2019 को थाना बल्दी राय, जनपद सुलतानपुर में प्रधान सुरेश यादव, निवसी एमनापुर की प्रातः लगभग 10:30 बजे स्वचालित हथियारों से हत्या करने के सम्बन्ध में अभियोग संख्या–232/19, धारा–147/148/149/307/302 भादवि पंजीकृत। जमीनी सूचना और डिजिटल अभिसूचना के आधार पर पूछताछ करने पर शिवम सिंह उपरोक्त ने बताया कि वह बलिया जेल में निरूद्ध वाहिद के सम्पर्क में रहता है। वाहिद ने अपने मित्र रमेश सिंह यादव के लिए एक हत्या करने का प्रस्ताव रखा था। उस सम्बन्ध में वह 02 अगस्त को सुलतानपुर गया और योजनाबद्ध ढंग से इमरान, विनीत यादव और नसीम उर्फ झब्बल को भी सुलतानपुर बुला लिया। रमेश सिंह ने पूरी योजना बनायी और स्वयं पुरानी जमानत कटाकर जेल चला गया। उसके भाई अमरजीत और एक स्थानीय प्रिन्स सिंह नाम के लड़के के साथ मिलकर हम चारो लोंगो ने पूर्व से चिन्हित व्यक्ति की हत्या कर दी।

7– दिनॉक–07.08.2019 को थाना तरवॉं, आजमगढ़ में मोटर साइकिल लूट के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0–90/19, दिनॉक–09.08.2019 को थाना भलवनी, देवरिया में अल्टो कार लूट के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0–114/19 तथा 10.08.2019 को सकलडीहा, चन्दौली में नई ब्रजा कार लूट के सम्बन्ध में पंजीकृत अपराध संख्या–122/2019 के सम्बन्ध में अभियुक्त शिवम सिंह तथा उसके अन्य तीन साथी इमरान, विनीत यादव और नसीम उर्फ झब्बल ने बताया कि उन्होंने तीन दिनों में उक्त तीन लूट की घटनायें की। वे एक चार पहिया गाड़ी इसलिए अपने पास रखना चाहते थे जिससे अपराध करने के बाद वे कुछ दिन के लिए कहीं दूर चले जाया करें। ब्रजा मालिक द्वारा अधिक विरोध करने के कारण उसे गोली मार दी थी जिसकी बाद में मृत्यु हो गयी थी।

उक्त अपराधियों के विरूद्ध थाना कोतवाली गाजीपुर में सुसंगत धाराओं का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।